



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092021-229972
CG-DL-E-27092021-229972

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3633]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 2021/ आश्विन, 5, 1943

No. 3633]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 2021/ASVINA 5, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2021

का.आ. 3967(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. २८५३(अ) दिनांक १६ जुलाई २०२१, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में रा०रा० सं०-२९ के कि.मी. 157.2 से कि.मी. 208.3 (सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय/विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, होटल पार्क रीजेंसी, गोरखपुर गोरखपुर के सामने।) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरण/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "२९ जुलाई २०२१" को "अमर उजाला" और "इंडियन एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में NH29 के कि.मी. 157.2 से कि.मी. 208.3 (सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय/विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, होटल पार्क रीजेंसी, गोरखपुर गोरखपुर के सामने।) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: गोरखपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बाँसगाओं				
	गांव का नाम: हाटा बुजुर्ग				
1	873	निजी	कृषि	0.00582	राकेन्द्र द्विवेदी पुत्र स्व० ओंकारनाथ, शशिकला पत्नी ओंकारनाथ, बेबी पत्नी स्व० शैलेन्द्र द्विवेदी व अमन द्विवेदी पुत्र स्व० शैलेन्द्र द्विवेदी (८७३)
	गांव का नाम: पाण्डेयपार				
2	370	निजी	कृषि	0.02	परसाद पुत्र भरोसा, हरिवंश, परमहंस पुत्रगण रामपत, लालधर पुत्र रामदेव, श्रीमती विन्धवासिनी पत्नी स्व० महन्थ, पिंटू, वशिष्ठ पुत्रगण स्व० महन्थ, ममता पत्नी स्व० लल्लन, द्रोपदी पत्नी स्व० बहादुर, यशवंत, बलवंत पुत्रगण स्व० बहादुर (३७०)

3	370	निजी	कृषि	0.003	नरसिंह, देवेन्द्र राय पुत्रगण श्रीभगवत राय , रविन्द्र राय पुत्र श्रीनारायण राय, शैलेन्द्र राय, धर्मेन्द्र राय, उपेन्द्र पुत्रगण रामचन्द्र राय एवं अन्य (३७०)
4	370	निजी	कृषि	0.001	धीरेन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण, सतेन्द्र, सर्वेन्द्र पुत्रगण धीरेन्द्र (३७०)
5	529	निजी	कृषि	0.002	रामसरन पुत्र रामसेवक, मनोज कुमार, भरत कुमार पुत्रगण स्व० बलिराम, रामनिवास, रामाधार, रामभजन व राजेश कुमार पुत्रगण स्व० बुधिराम, एवं मनारी देवी पत्नी स्व० बुधिराम (५२९)
तालुक का नाम: गोला					
गांव का नाम: कोडारी मु०					
1	471	निजी	कृषि	0.03	गोविंदनारायण, श्रीनारायण, जितेन्द्रनारायण पुत्रगण गंगा प्रसाद (४७१)
			कुल	0.06182	

[फा. सं. 26013/1/2014/NH-29(LA-GKP-MAU)/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2021

S.O. 3967(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, no. S.O.2853(E), dated 16th July 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-29 on the stretch of land from Km. 157.200 to Km. 208.300 (Office of the Competent Authority / Special Land Acquisition officer, Gorakhpur Opposite of Hotel Park regency , Park Road Gorakhpur.) in the district of GORAKHPUR in the state of UTTAR PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Amar Ujala” and “Indian Express” both dated 29th July 2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH29 in the stretch of land from 157.200 to 0 Km. 208.300 (Office of the Competent Authority / Special Land Acquisition officer, Gorakhpur Opposite of Hotel Park regency , Park Road Gorakhpur.) in the district of GORAKHPUR in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: GORAKHPUR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bansgaon				
	Village: Hata Bujurg				
1	873	Private	Agricultural	0.00582	Rakendra Dwivedi s/o Late Onkarnath, Shashi Kala W/o Onkarnath, Baby W/o Late Shailendra Dwivedi & Aman Dwivedi S/o Shailendra Dwivedi 873
	Village: Pandeypar				
2	370	Private	Agricultural	0.02	Persad S/o Bharosha, Haribansh, Paramhash S/o Rampat, Laldhar S/o Ramdev, Smt. Vindhwashini W/o Late Mahanth, Pintu, Vashisth S/o Mahanth, Mamta W/o Late Lallan, Dropadi W/o Late Bahadur, Yashwant, Balwant S/o Late Bahadur 370
3	370	Private	Agricultural	0.003	Narsingh, Devendra Rai S/o Shri Bhagwat Rai, Ravindra Rai S/o Shrinarayan Rai, Shailendra Rai, Dharmendra Rai, Upender S/o Ramchandra Rai and Others 370
4	370	Private	Agricultural	0.001	Dhirendra S/o Laxminarayan, Satendra, Sarvendra S/o Dhirendra 370
5	529	Private	Agricultural	0.002	Ramsaran S/o Ramsewak, Manoj Kumar, Bharat Kumar S/o Late Baliram, Ramniwas, Ramadhar, Rambhajan o Rajesh Kumar S/o Late Budhiram & Manari Devi W/o Late Budhiram 529
	Taluk: Gola				

	Village: Kodari Mu.				
1	471	Private	Agricultural	0.03	Govindnarayan, Shreenarayan, Jitendranarayan S/o Ganga Prasad 471
			TOTAL	0.06182	

[F. No. 26013/1/2014/NH-29(LA-GKP-MAU)/3D]

RAJESH GUPTA, Director